



## केंद्रीय हिंदी निदेशालय



### हिंदी में प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता योजना

केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, द्वारा हिंदी लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी में प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है।

#### हिंदीमूलक पांडुलिपियों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता योजना:-

इस योजना के अंतर्गत हिंदी में लिखे संदर्भग्रंथ, ज्ञान-विज्ञान, भाषा-विज्ञान, साहित्य, आलोचना, समाज-शास्त्र, संस्कृति तथा किसी अन्य भाषा से हिंदी में अनूदित पांडुलिपियों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है। उपन्यास, कथा-साहित्य, नाटक, काव्य की पांडुलिपियाँ तथा शोध-प्रबंध इस योजना के अंतर्गत विचारणीय नहीं हैं। यह योजना केवल लेखकों के लिए है; प्रकाशक इसके पात्र नहीं हैं। पांडुलिपि में 100 पृष्ठ या उससे अधिक होना आवश्यक है।

#### आवेदन की प्रक्रिया:-

आवेदक को विधिवत् भरा हुआ अपना आवेदन-पत्र संबंधित पांडुलिपि की एक प्रति के साथ इस निदेशालय में 15.02.2019 तक प्रस्तुत करना होगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

इस योजना के अंतर्गत प्रस्तुत पांडुलिपियाँ स्वच्छ रूप से टंकित अथवा सुपाठ्य रूप में लिखी हुई एवं सजिल्ड (स्पाईरल या भली प्रकार बंधी हुई) होनी चाहिए। अपठनीय रूप में लिखी हुई एवं बिना जिल्ड की हुई पांडुलिपियाँ अस्वीकृत कर दी जाएँगी।

#### आवेदन-पत्र के लिए कृपया लिखें:-

निदेशक,

केंद्रीय हिंदी निदेशालय,

उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय,

पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम्,

नई दिल्ली-110066

विस्तृत विवरण एवं आवेदन-पत्र के लिए हमारी वेबसाइट देखें: [www.chdpublication.mhrd.gov.in](http://www.chdpublication.mhrd.gov.in)

केंद्रीय हिंदी निदेशालय प्रकाशन अनुदान के लिए आवेदन  
"हिंदी में प्रकाशन हेतु विक्षीय सहायता योजना के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र"

द्वारा

.....  
.....  
.....

स्थान:

दिनांक:

सेवा में,

निदेशालय,  
केंद्रीय हिंदी निदेशालय,  
पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम्,  
नई दिल्ली-110066

फोटो

महोदय,

हिंदी में प्रकाशन हेतु विक्षीय सहायता योजना के अंतर्गत मेरी पांडुलिपि ..... के प्रकाशन अनुदान हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत है।

2. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने योजना के समर्त नियमों को पढ़ लिया है, मैं उन्हें मानने के लिए सहमत हूँ।
3. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि संघ के पंजीकृत ज्ञापन और नियमों के अनुसार आवेदक स्वैच्छिक संगठन के नाम से मुकदमा दायर करने और कराने के लिए सक्षम है।
4. मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि प्रस्तुत पांडुलिपि अप्रकाशित है। (पुनर्मुद्रण को छोड़कर) तथा यह कहीं भी प्रकाशन के लिए प्रस्तुत नहीं की गई है, साथ ही जब तक केंद्रीय हिंदी निदेशालय से इस मामले का अंतिम निपटान नहीं हो जाता, इसे कहीं भी प्रकाशन के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

अवधीय

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम .....

तथा पता.....

दूरभाष सहित .....

भारत सरकार  
 केंद्रीय हिंदी निदेशालय  
 उच्चतर शिक्षा विभाग  
 हिंदी में प्रकाशन हेतु विक्तीय सहायता योजना  
 आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम : .....  
 (i) आवेदक की स्थिति व्यक्ति/संगठन/संस्था : .....  
 (ii) यदि संस्था है तो पंजीकृत है अथवा नहीं : .....
2. (अ) पांडुलिपि का नाम : .....  
 (ब) लेखक का नाम : .....  
 (स) पुस्तक का प्रकाशन कितने खंडों/भागों में होगा : .....  
 (द) यदि प्रकाशन कई खंडों/भागों में होना है : .....  
 तो किस खंड/भाग के लिए विक्तीय सहायता माँगी जा रही है।
3. प्रस्तुत प्रकाशन का प्रतिपाद्य विषय : .....
4. प्रस्तुत आवेदन व्या प्रथम संस्करण के प्रकाशन के संबंध में है या पुनर्मुद्रण के संबंध में है? यदि यह पुनर्मुद्रण है तो प्रथम संस्करण की तिथि बताएँ। : .....
5. प्रस्तुत प्रकाशन के संबंध में आवेदक की स्थिति (लेखक/संपादक/अनुवादक) : .....
6. प्रस्तुत प्रकाशन के संबंध में कॉपीराइट किसके पास है? : .....
7. प्रस्तुत प्रकाशन पर कुल अनुमानित लाय (रु ..... तक सीमित)  
 (अ) दुर्लभ पांडुलिपियों की सूचियों के मुद्रण हेतु 1100 प्रतियाँ  
 (ब) अन्य पांडुलिपियों के मुद्रण हेतु 2500 प्रतियाँ  
 (स) अनुदान के लिए स्वीकृत पुस्तकों के ई-संस्करण निदेशालय की वेबसाइट पर आवेदक रखां अप-लोड करेंगे। : ..... .2/-

प्रकाशन/उत्पादन व्यय

- क. (i) पुस्तक कितने भागों/खंडों में प्रकाशित होगी : .....  
(ii) अनुमानित मुद्रित पृष्ठ : .....  
(iii) प्रकाशित पुस्तक का आकार : .....  
ख. कंपोजिंग ऑफ ट्रैकर्ट  
(i) फोटो कंपोजिंग ऑफ ट्रैकर्ट : रु. ....  
(ii) प्लेट मेकिंग : रु. ....  
(iii) चित्र/नकशे : रु. ....  
(iv) कलर : रु. ....  
कंपोजिंग पर कुल व्यय  
(ग) पूफ रीडिंग/वेटिंग चार्ज  
(घ) ट्रैकर्ट प्रिंटिंग (ऑफसेट) पर व्यय : रु. ....  
(ङ.) कागज पर व्यय : रु. ....

क्र.सं.	कागज का प्रकार	आर	दर प्रति रिम	मूल्य
1.	क्रीम ग्रेच	.....	.....	.....
2.	मैप लिथो	.....	.....	.....
3.	आर्ट पेपर	.....	.....	.....
4.	अन्य	.....	.....	.....

कागज का कुल मूल्य

- (च) कवर पेपर, कवर डिजाइनिंग, कवर प्रोसेसिंग, : रु. ....  
प्लेट मेकिंग तथा कवर प्रिंटिंग पर कुल व्यय : रु. ....  
(छ) जिल्दसाजी : रु. ....  
(i) (पेपर बैक/हार्डबाउंड/हार्ड बाउंड विद जैकेट/अन्य)  
(ii) जिल्दसाजी पर कुल व्यय : रु. ....  
(रु. .... प्रति पुस्तक की दर से .... प्रतियों पर)  
(iii) पैकिंग और फोरवार्डिंग चार्ज : .....

(ज) उत्पादन व्याया

(i) लौखिक/संपादक/अनुवादक का मानदेय	:	.....
(ii) टंकण व्याया	:	.....
रु. .... प्रति पृष्ठ की दर से .....	:	.....
पृष्ठों के लिए	:	.....
8. योजना के अंतर्गत सरकार से अपेक्षित अनुदान राशि	:	.....
9. स्रोत, जहाँ से शेष राशि की भरपाई की जाएगी	:	.....
10. व्या आवेदक के पास प्रकाशन के संबंध में समुचित सुविधाएँ उपलब्ध हैं	:	.....
11. अनुदान की प्रथम किश्त के भुगतान पर प्रत्युत प्रकाशन के लिए अपेक्षित समय (अनुमोदन की दिनति में)	:	.....
12. संगठन/संस्था की परिसंपत्ति की कीमत	:	.....
(क) भवन	:	.....
(ख) फर्नीचर	:	.....
(ग) उपरकर	:	.....
(घ) पुस्तकालय पुस्तकें	:	.....
(ड.) कोई अन्य प्रकार	:	.....
	कुल:	.....
13. विंगत पाँच वर्षों में केंद्रीय हिंदी निदेशालय से प्राप्त विक्रीय सहायता का विवरण दें	:	.....
14. गत पाँच वर्षों में केंद्र, राज्य सरकार और अन्य संस्थाओं से प्राप्त विक्रीय सहायता का विवरण दें	:	.....
(अ) वर्ष	:	.....

(ब) प्राप्त अनुदान की राशि	: .....
(स) उद्देश्य	: .....
(द) संखीकृत करने वाली प्राधिकारी का नाम	: .....
15. क्या इसी उद्देश्य के लिए सरकार से पहले	: .....
भी वित्तीय सहायता की माँग की गई थी ?	
यदि हाँ तो परिणाम ?	
16. आवेदक की प्रमुख गतिविधियाँ	: .....
17. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि प्रस्तुत पांडुलिपि की मास्टर कॉपी मेरे (आवेदक के) पास है। मैं यह भी जानता हूँ कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा बिना कोई कारण बताए मेरा आवेदन अखीकृत किया जा सकता है, मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई समस्त सूचनाएँ मेरी आधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।	

भवदीय

हस्ताक्षर	: .....
पूरा नाम	: .....
तथा पता	: .....
.....	
दूरभाष सहित	: .....
ई-मेल	: .....

संलग्नों की सूची:-

- संबंधित पांडुलिपि की दो प्रतियाँ। कृपया यह ध्यान रखें कि पांडुलिपि साफ-साफ टंकित/हस्तालिखित हो तथा सभी पृष्ठ क्रमबाट व्यवस्थित रूप से मिले हों।
  - यदि आवेदक स्वयं लेखक नहीं है तो लेखक द्वारा आवेदक के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करें। यदि लेखकों का संकलन है तो सभी लेखकों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करें। यदि पांडुलिपि के एक से अधिक लेखक हैं तो सह लेखक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी संलग्न करें।
  - यदि आवेदक संस्था है तो पिछले तीन वर्षों के चार्टरिट लेखे संलग्न करें।
  - लेखकों को मौलिक लेखन का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  - आवेदक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि अनुदान के लिए स्वीकृत पुस्तकों के e-संचरण को निदेशालय की लेट साइट पर आप-लोड करेंगे।
- नोट:- एक बार अनुदान प्राप्त कर लेने पर आवेदक आगामी 5 (पाँच) वर्षों के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।